10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

निग/3053/II/15

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. निगरानी/ /15

1. बापू आ0 श्री भावना
2. रमेश आ0 श्री बापू
3. सन्तोष आ0 श्री बापू

निवासीगण ग्राम बावचा बरामदा तहसील
आष्ठा जिला सिहोर म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मानसिहं आ0 श्री बलवन्त
2. रेशम बाई पुत्री हमीरसिहं
3. गुलाबबाई पुत्री हमीरसिहं

निवासीगण ग्राम बावचा बरामदा तहसील
आष्ठा जिला सिहोर म0प्र0 ....अनावेदकगण

238

श्री अशोक सोनी अधि० द्वारा आज दि० 20/8/15 को प्रस्तुत।

20/8/15

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 386/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16/06/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष के आवेदन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि उनके स्वत्व एवं स्वामित्व कि भूमि खसरा क0 440/1 एवं 440/4 में आने जाने के लिये कदीमी रास्ता आवेदकगण कि भूमि में से है । आवेदकगण ने अनावेदकगण के आने जाने के रास्ते को रोक दिया है। इसलिये अनावेदकगण को रास्ता दिलाये जावे । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त आवेदकगण को प्रकरण के संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया। जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकगण ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदकगण द्वारा उसके आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रस्तुत किया गया । परन्तु अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार साक्ष्य लिपिबद्ध किये विना ही अनावेदकगण को आवेदकगण कि भूमि में से रास्ता दिये जाने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रकरण कि वास्तविक परिस्थितियो पर नियमानुसार विचार किये विना ही विचाराधीन आदेश के द्वारा

नि॰/3053/II/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3053 –दो/2015 जिला–~~सीहोर~~ सीहोर

स्थान तथा दिनांक	बापू कार्यवाही तथा आदेश मानसिंह	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से अशोक सोनी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–16.615 का अवलोकन किया गया । आदेश दिनांक–16.615 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण मे मुख्य विवाद कृषिकार्य हेतु खेतों पर जाने के लिए रास्ते के संबंध में है । अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक–440/1 व 440/4 पर आने जाने का रूढिगत रास्ता आवेदक के खेतो पर से है कोई नया रास्ता नहीं मांगा गया है जिसे आवेदक द्वारा रोक दिए जाने से जन सुविधा वाधित हुई है । इसे ध्यान में रखते हुए अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक–16.6.15 से अधीनस्थ न्यायालयों के कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए दिए गये रास्ता संबंधी आदेशों को स्थिर रखते हुए कृषि कार्य हेतु आने–जाने के रास्ते को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गयी है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना कर बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है जो विधि अनूकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राहय किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । सदस्य	